

प्रेषक

आयुक्त,
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ एवं अजमेर
मण्डलीय समिति, अलीगढ़ मण्डल।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र- 2 समुदाय केन्द्र,
प्रोविन्सियल, नई दिल्ली।

पत्रांक: एसटी0/एनओ0सी0/

/2010-11 दिनांक:

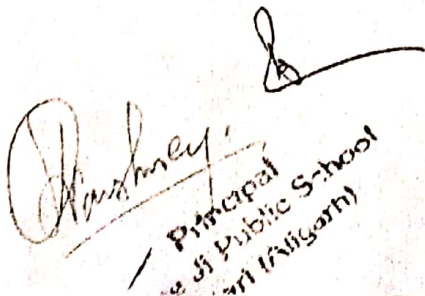
विषय: अलीगढ़ मण्डल में स्थिति माध्यमिक विद्यालयों को सी0वी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में।

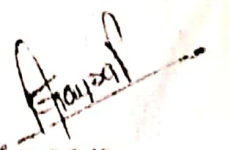
महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्याज्ञा संख्या: 1916 (1)/15-7-09-1 (299)/2007 दिनांक 14.07.2009 के अनुपालन में मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 24.07.2012 में लिए गये निर्णय के अनुसार श्री जी. पब्लिक स्कूल जट्टादी- अलीगढ़ को, सी0वी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति पत्र में अंकित विभिन्न प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है-

प्रतिबन्ध-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में सम्बद्धता जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0, माध्यमिक शिक्षा परिषद/केन्द्रीय शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता से-टूल बोर्ड ऑफ सिकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्वायलिशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की जिम्मेदारी उ0प्र0, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुगम्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की भाँति अनुगम्य सेवानिवृत्त का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।


Principal
Shree Ji Public School
Jattal (Aligarh)


Manager
Shree Ji Public School
Jattal (Aligarh)

7. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

8. विद्यालय रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजीकाओं में रखा जायेगा।

9. विद्यालय में अग्नि शमन यंत्र स्थापित कर अग्नि शमन अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

10. नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रावधानित सुरक्षा मानकों का प्रमाण पत्र सम्बन्धित अभियन्ता से प्राप्त कर लिया जाये।

11. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पारा जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस ले लिया जायेगा।

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ़।

भवदीय
(अनिल गर्ग)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

कार्यालय मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़।

पुष्पाकम संख्या एसटीओ/एनओओसीओ/1892-1900/2010-11 दिनांक 24/07/12

वर्ष।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, (माध्यमिक शिक्षा), उओप्रओ शासन, शिक्षा 7 अनुभाग, लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त, अलीगढ़।
3. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उओप्रओ, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
5. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़।
7. प्रबन्धक, सम्बन्धित विद्यालय।
8. गार्ड फाइल।

डॉ०(अंजना गायल)
सचिव/सदस्य एवं
मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ़।

Shree Di Public School
Principal

Manager
Shree Di Public School
Jattari (Aligarh)